भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 138

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पूर्व शिक्षा की मान्यता संघटक

***138. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:** **श्रीमती शांभवी:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) संघटक के अंतर्गत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रमाणित कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चलाए जाने वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उद्योग संबंधी प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की दर और वास्तविक नियोजन की निगरानी और संपरीक्षा करने के लिए कोई तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) संघटक के लिए कुल कितना वित्तीय बजट स्वीकृत किया गया है और इस पर वास्तव में कितना व्यय किया गया है और असंगठित क्षेत्र में इसके दायरे को बढ़ाने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई है; और

(ड.) क्या सरकार ने निर्माण या खुदरा व्यापार जैसे विशिष्ट उद्योगों में अनुभवी लेकिन बिना प्रमाण पत्र वाले कामगारों के लिए आरपीएल प्रमाणन को अनिवार्य बनाने हेतु बड़े क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी और श्रीमती शांभवी द्वारा पीएमकेवीवाई के पूर्व शिक्षा की मान्यता संघटक के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *138 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) दिनांक 31.12.2025 तक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) संघटक के तहत देश भर में कुल 57,34,088 श्रमिकों को प्रमाणित किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं	**राज्य**	**प्रमाणित**
i.	आंध्र प्रदेश	1,29,370
ii.	बिहार	2,10,754
iii.	मध्य प्रदेश	2,60,561
iv.	उत्तर प्रदेश	8,19,132

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उद्योग-प्रासंगिकता में सुधार लाने के लिए, एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई 4.0 के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी-आधारित, बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली लागू की है। प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के माध्यम से मानकीकृत किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो गए हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईबीएम, बजाज फिनसर्व और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी कंपनियों को उद्योग-अनुरूप जॉब रोल्स को तैयार करने हेतु अवार्डिंग बॉडीज के रूप में नामित किया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 योजना बाजार की मांग के आधार पर, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा और 3डी प्रिंटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, । अब तक 600 से अधिक नए जमाने के रोजगार के अवसर शुरू किए जा चुके हैं। यह योजना ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और क्यूआर कोड वाले प्रमाणपत्रों के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल प्रमाणन द्वारा रोजगार क्षमता को बढ़ावा देती है।

स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पाठ्यक्रम खोज, उम्मीदवारों के पंजीकरण, ई-केवाईसी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और प्रशिक्षण प्रदाताओं एवं केंद्रों के पंजीकरण के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करता है। प्रशिक्षण निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है, और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) जैसी क्षमता निर्माण पहलों द्वारा समर्थित है ताकि प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का एक कुशल राष्ट्रीय समूह सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर एक रियल-टाइम डैशबोर्ड तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षण की प्रगति, ड्रॉपआउट और योजना के अन्य प्रमुख मापदंडों को तलाश किया जा सके, जिससे ड्रॉपआउट को कम करने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा वर्ष 2025 में किए गए पीएमकेवीवाई 4.0 के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन में पाया गया कि ड्रॉपआउट मुख्य रूप से शैक्षणिक परीक्षाओं, मौसमी रोजगार, जल्दी नौकरी के प्रस्ताव, प्रवासन और व्यक्तिगत कारणों से होते हैं। ड्रॉपआउट डेटा में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा परिचालन संबंधी चुनौतियों, निगरानी संबंधी अनियमितताओं, कुछ पदों के लिए अधिक आवेदन आने के कारण बैच रद्द करने की घटनाएं भी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा निवारक कार्रवाई की गई।

प्रशिक्षुओं के प्रतिधारण, सामान्य मानदंडों के तहत महिलाओं, दिव्यांगजनों और विशेष क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं, जिनमें आवास और भोजन सहायता, परिवहन और आने-जाने के भत्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षक की गुणवत्ता और अन्य मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षुओं की चिंताओं को दूर करने के लिए हेल्पलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सुदृढ़ शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया गया है।

(घ) दिनांक 31.12.2025 तक, पीएमकेवीवाई के आरपीएल घटक के तहत कुल ₹1,026.16 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

पीएमकेवीवाई को क्षेत्रीय और क्षेत्रीय श्रम बाजार की मांग के आधार पर संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मांग-आधारित योजना के रूप में तैयार किया गया है। असंगठित क्षेत्र में आरपीएल कवरेज बढ़ाने के लिए, सरकार निर्माण, खुदरा, लॉजिस्टिक्स, वस्त्र, पर्यटन और अन्य अनौपचारिक ट्रेडों जैसे क्षेत्रों में क्लस्टर-आधारित और नियोक्ता-नेतृत्व वाली आरपीएल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां बड़ी संख्या में अनुभवी लेकिन अप्रमाणित श्रमिक कार्यरत हैं।

(ड.) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, पीएमकेवीवाई योजना के आरपीएल घटक के माध्यम से, निर्माण, खुदरा और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी लेकिन अप्रमाणित श्रमिकों के कौशल प्रमाणीकरण को बढ़ावा देता है। मंत्रालय पीएमकेवीवाई के तहत कौशल विकास को मजबूत करने और रोजगार क्षमता में सुधार तथा प्रमाणीकरण के लिए बड़े नियोक्ताओं, उद्योगों, व्यावसायिक संघों आदि के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) प्रमाणित श्रमिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष (बीओसीडब्ल्यू) जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना भी शामिल है।

*****